

राजस्थान सरकार


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./137/2018/101

दिनांक: 08/02/18

आदेश

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 21471/2017 सुरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती-2013/2017/340 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालूराम को प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई नियुक्ति को प्रत्याहारित किया गया था, के प्रभाव एवं कियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। परिणाम स्वरूप श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालूराम प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भांकरोटा में यथावत कार्य करते रहेंगे।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

दिनांक : 08/02/18

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./137/2018/101

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0) जयपुर-द्वितीय एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालूराम निवासी-ग्राम चिरानी ढाणी नेवारिया की तह0 खेतडी जिला झुंझुनु
9. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।